SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 31/2018 Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant.
मुखा वाजा कर्ण भूक वाजाना
Photos table was a
Name , parentage, caste and address of accused
। येजाय पाठा 3/0 ड्राजायमा आद्यायमा उत्त २७ आला । हे हर्नमान ट्राजाहा
1316115 1-11463
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप है कि दिनांक २९/1/18 मुकाम सार्था २१ हो दल सालानपुर पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आधिपत्य में 3.0 नवा लीटर/पाव/बोतल कवाटाशराब विकथ/परिव्रहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
En Sarai
The plea of the accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है। स्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।
Girls Colon Colon
29 2278
fanumoni ete

//निर्णय//

(आज दिनांक ... 09/02/18. को घोषित)

- 01. <u>अ</u>भियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि० 1915 की घारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
 - 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि0 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी उहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
 - 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की संजा एवं रूपये 1000/शब्दों में कि हित न्यायाल उठने उपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर निवन्न का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
 - 04 जप्तशुदा सम्पत्ति 30 लीटर/पाव/बोतल अवाद शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अविध पश्चात् नियमानुसार मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अविध पश्चात् नियमानुसार

092-2018